खास-खबरें

भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्य उत्सव गंगा सप्तमी 27 अप्रैल को एच्छिक अवकाश घोषित

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्य उत्सव, गंगा सप्तमी के दिन 27 अप्रैल को शासकीय कर्मचारियों के लिए एच्छिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह निर्णय आज मंत्रालय में उनसे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रतिनिधि-मंडल द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के आधार पर लिया है। श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि अब से प्रदेश में भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्य उत्सव, गंगा सप्तमी के दिन एच्छिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव सहित प्रतिनिधि शामिल थे।

किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले : पटेल

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को विभाग की कल्याणकारी योजनाओ का अधिकतम लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये। श्री पटेल मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त और समर्थ भारत के सपने को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पूरा करने के लिये निरंतर कार्य करना है। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये हरसंभव उपाय किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक वर्णवाल, एमडी मंडी बोर्ड श्रीमती जी.व्ही. रश्मि सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्री पटेल ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित किये गये लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये।

मत्स्य उत्पादन में कमी पर मंत्री सिलावट ने व्यक्त की नाराजगी

भोपाल। जल संसाधन मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश में मछली उत्पादन की समीक्षा की। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में मछली उत्पादन में कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 5 सदस्यीय जाँच समिति बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। समिति मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव भी देगी। श्री सिलावट ने मछुआ सहकारी समिति के कामकाज की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मीनाक्षी कन्या विवाह योजना में 5 साल में 677 कन्याओं को विवाह के लिए 20 हजार की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है।श्री सिलावाट ने मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवाचार करने के निर्देश दिए। मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जिला के अधिकारी बैंक मैनेजर से चर्चा करे। मछुआ सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य के कार्ड बनाए जाए। प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने भी मत्स्य उत्पादन की कमी पर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की मछली के गुणवत्ता सुधार के लिए भीं कार्ययोजना बनाकर काम करे। प्रबंध संचालक पुरुषोत्तम दीवान, संचालक भरत सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मप्र नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 स्थगित

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2023 को प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने के विनियमन के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 अधिसूचित किये गये हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार इस नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इन नियमों के लागू होने के पहले जिन नगरीय निकायों द्वारा मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 अथवा मप्र नगर पालिका अधिनयम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निकाय स्तर पर व्यापार विनियमन के लिये व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लायसेंस) जारी करने के लिये शुल्क निर्धारित करके नियम लागू किये गये हैं, वह पूर्वानुसार लागू रहेंगे। उल्लेखनीय है कि नवीन नियमों के प्रकाशित होने के बाद विभिन्न नगरों संबद्ध व्यवसायियों, व्यापार समूहों एवं निकायों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा नियमों में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था।

स्थाई पता नहीं होने से आधार कार्ड बनवाने के लिए इंट्रोड्यूसर का विकल्प

भोपाल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका स्थायी पता नहीं होने के कारण आधार कार्ड नही बन रहे है उनके लिए आधार इंट्रोड्यूसर चैनल की व्यवस्था की गई है। जिले में ऐसे व्यक्ति जो बेसहारा, बेघर है जिनकी जानकारी सर्वे के माध्यम से चिन्हित की गई है इनका स्थायी पता नही होने के कारण आधार कार्ड नही बन रहे है ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए इंट्रोड्यूसर विकल्प का उपयोग किया जाना उपयुक्त होगा।

इंट्रोड्यूसर बनाने की प्रक्रिया : इंट्रोड्यूसर ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी पहचान रजिस्ट्रार द्वारा यूआईडीएआई पोर्टल पर की जाती है। रजिस्टार से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कि आधार कार्ड नम्बर बनाने के लिए यूआईडीएआई द्वारा अधिकृत है। इंट्रोड्यूसर इनमें में से कोई व्यक्ति हो सकता है- रजिस्ट्रार के अंतर्गत कार्य करने वाला कर्मचारी, स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य, स्थानीय प्रशासनिक निकायों, सदस्य, डाक्टर, शिक्षक, पोस्टमैन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ता, एनजीओ के प्रतिनिधि आदि। इंट्रोड्यूसर आधारित आधार कार्ड बनाते समय इंट्रोड्यूसर की निम्न जानकारियों का उपयोग किया जाए।इंट्रोड्यूसर का नाम, इंट्रोड्यूसर का आधार नम्बर, इंट्रोड्यूसर का बायोमैट्रिक डेटा। इंट्रोड्यूसर 18 वर्ष उम्र से अधिक होना चाहिए। इंट्रोड्यूसर का अपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए।

राजभवन में हुआ निक्षय मित्र सम्मान समारोह में राजपाल ने कहा....

टीबी रोग को हराने और देश को जिताने के लिए सबका प्रयास जरूरी

भोपाल (काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि टीबी रोग को हराने और देश को जिताने के लिए समाज के सभी वर्गों के विश्वास एवं प्रयासों के साथ कार्य किया जाना जरूरी है। उन्होंने समाज के सक्षम समुदाय का आहवान किया है कि टीबी रोगियों की मदद के लिए आगे आए। गरीब और वंचित वर्ग की सहायता से मिलने वाला आत्मिक आनंद अद्भुत होता है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है।

राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम के शुभारंभ और निक्षय मित्र सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने टीबी उन्मूलन की शपथ दिलाई। गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंच श्रेणी में सब नेशनल सर्टिफिकेशन अवार्ड प्राप्त जिले धार, नीमच, मंदसौर, इंदौर, देवास, बैतूल, शाजापुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मुरैना और मंडला के कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 जिलों कटनी, रायसेन और मुरैना के कलेक्टर्स एवं अन्य विभिन्न श्रेणियों में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों सहित कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया। विभिन्न जिलों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले निक्षय मित्रों को भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए पंचायत के साथ ही ग्राम सभाओं के माध्यम से टीबी रोगियों के चिन्हांकन का कार्य किया जाए। उन्होंने जन प्रतिनिधियों का आहवान किया कि वे भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान टीबी रोगियों की जानकारी प्राप्त कर उनकी सहायता करें। संकटग्रस्त की सहायता जन-प्रतिनिधि के रूप में उनकी पहचान को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि रोग उन्मूलन के लिए पोषण के साथ ही रोगियों का मनोबल बढ़ा कर दवाइयों के नियमित सेवन और रोग संक्रमण रोकने के लिए जन-जागृति के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ किए गए प्रयासों को सफलता

अवश्य मिलती है। ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को धुएँ के कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली सफल उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवेदनशील हृदय और जमीन से जुड़ाव का प्रतीक है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्यप्रदेश विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2025 से पूर्व टीबी मुक्त प्रदेश हो जाए। टीबी रोग उन्मूलन के प्रयासों में जन-सहभागिता और जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ कार्य किए जा रहे हैं। निक्षय मित्र योजना में देश के बड़े प्रदेशों में अग्रणी स्थान पर है। करीब 6 हजार निक्षय मित्र राज्य में बन चुके है। टीबी रोगियों को 12 हजार से अधिक फूड बास्केट का वितरण किया जा चुका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि टीबी उन्मूलन प्रयासों की दिशा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मध्य पारस्परिक समझौता ऐतिहासिक प्रसंग है। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने अभूतपूर्व कार्य किया था, जिसकी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सराहना की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त पंचायत पदाधिकारी और कर्मचारी टीबी के उन्मूलन के लिए आगे बढ़ कर कार्य करने के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध है। निक्षय मित्र सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव, कुमारी मीनाक्षी क्षत्री कटनी, टीबी चेम्पियन बलराम देवड़ा रीवा ने भी संबोधित किया। टीबी मुक्त पंचायत पर कार्य करने हेतु एक संयुक्त कार्य-योजना में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मोहम्मद सुलेमान ने उदबोधन दिया। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुदाम पी. खाड़े ने आभार प्रदर्शन किया। राजभवन जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव संजीव कुमार झा, राजभवन जनजातीय प्रकोष्ठ के सदस्य सचिव बीएस जामोद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध संचालक श्रीमती प्रियंका दास भी उपस्थित थे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा टी.बी. उन्मूलन के लिये किये जा रहे प्रयासों पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई।

सु-राज नीति से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलेंगी बेहतर आवास सुविधाएँ

भोपाल (काप्र)।

राज्य शासन की सु-राज नीति 2023 से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को बेहतर आवासीय सुविधाएँ मिलेंगी। इससे गरीबों को सस्ते और अच्छे आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

शासन द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर सुराज कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा। मप्र गृह एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा होटल पलाश में शासन की सु-राज नीति 2023 पर एक दिवसीय कार्यशाला में यह जानकारी दी गई। कार्यशाला में निगम की रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी-2022 और रीडिवेलपमेंट पॉलिसी-2022 पर भी चर्चा की गई। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास नीरज मंडलोई, आयुक्त हाउसिंग बोर्ड चंद्रमौली शुक्ला, कलेक्टर आशीष सिंह एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित थे। सु-राज नीति में सुराज कॉलोनियों का निर्माण उस सरकारी भूमि के मुद्रीकरण के माध्यम से किया जाएगा, जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। सुराज कॉलोनियों का निर्माण करने वाले डेव्हलपर्स को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से उन शहरों के महत्वपूर्ण स्थानों पर फ्रीहोल्ड आधार पर भूमि की पेशकश की जाएगी, जहाँ उच्च व्यावसायिक संभावनाएँ हैं। सुराज परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए नीति में विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

विभागीय जाँच में देरी करने वालों पर कार्रवाई करें

भोपाल (काप्र)।

आयुष राज्यमंत्री रामकिशोर कावरे ने अधिकारियों की विभागीय जाँच में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्र से मिलने वाली राशि का योजनाओं में शत-प्रतिशत उपयोग किया जाये। श्री कावरे मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री कावरे ने विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की लगातार समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये। बताया गया कि 200 हेल्थ वेलनेस सेंटर विकसित किये जाने हैं। इसके अलावा 50 बिस्तरीय वेलनेस सेंटर बनाये जाने की भी मंजूरी प्राप्त हो गई है। आयुष संस्थाओं में दवाओं की नियमित पूर्ति हो, इसके लिये पर्याप्त बजट की व्यवस्था रखी गई है। प्रदेश में 562 हेल्थ वेलनेस सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। आयुष विभाग एवं संस्थान के माध्यम से आयुष विभाग की गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। इस अनुबंध के बाद प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा संचालित 562 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर नागरिकों को योग, ध्यान, तनाव मुक्ति और पोलेरिटी तकनीक संबंधी सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। हार्टफुलनेस संस्थान योग एवं आध्यात्म के माध्यम से दुनिया के 160 से अधिक देशों में तनावमुक्त एवं ध्यान संबंधी प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। आयुष विभाग 35 जिला अस्पतालों, 9 महाविद्यालयों तथा 562 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों पर चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम करेगा। साथ ही संस्थान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के विशेष सत्र आयोजित करेगा। आज हुए अनुबंध में प्रमुख सचिव आयुष फैज अहमद किदवई और हार्टफुलनेस सेंटर की ओर से उनके प्रतिनिधि गजेन्द्र सिंह द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। आयुक्त आयुष श्रीमती सोनाली वायंगणकर, डीआईजी प्रशासन सुश्री रूचिवर्द्धन मिश्रा, उप सचिव पंकज शर्मा, उप संचालक डॉ. राजीव मिश्रा भी उपस्थित थे।

देश की पहली सोलर सिटी बनने जा रही साँची

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में अनेक सौर ऊर्जा परियोजनाएँ संचालित हैं। इस क्रम में रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्मारक स्थल साँची नगर देश की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है।

परियोजना अंतर्गत साँची में विभिन्न कार्यों की पूर्णता लगभग पूरी हो गई है। आगामी माह में देश की प्रथम सोलर सिटी के रूप में साँची का नाम जाना जाएगा। यह मध्यप्रदेश की विशेष उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय सभा कक्ष में प्राथमिकता के जन-कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मंत्रि-परिषद के सदस्य और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। श्री चौहान ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने अच्छी प्रगति की है। जहाँ मध्यप्रदेश बिजली उत्पादन और आपूर्ति में आत्म-निर्भर बना है, वहीं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों ने देश का ध्यान आकर्षित किया है। सोलर सिटी साँची मध्यप्रदेश को इस क्षेत्र में नई पहचान दिलवाएगी। श्री चौहान ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पतालों के उन्नयन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय भुगतान, स्वास्थ्य समितियों की नियमित बैठकों और मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को वर्तमान स्थिति से कम करने के लिए निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नीट में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रक्रिया पूर्ण करने और मंजूर किए गए नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि-पूजन की तिथियाँ निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।

श्री चौहान ने जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि के भुगतान और छात्रावासों में आवश्यक सुविधाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं द्वारा आवेदन के कार्य को पूरा करने नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीएम राइज विद्यालयों से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण करने, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संस्थाओं के उन्नयन से जुड़े कार्यों को पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।

श्री चौहान ने खाद्य, सामाजिक न्याय, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय विकास, लोक निर्माण, वन, पर्यटन आदि विभागों से संबंधित जन-कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा कर उनके क्रियान्वयन स्तर को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। स्वच्छता सर्वे के संबंध में भविष्य में भी प्रदेश के नगरों की स्थिति अग्रणी रहे, इसके लिए सतत रूप से सजग रहने को कहा गया।

केन्द्रीय जेल में निरूद्ध बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

भोपाल (काप्र)।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव एसपीएस बुंदेला की गरिमामयी उपस्थिति में केंद्रीय जेल भोपाल में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

पूर्व न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय जबलपुर विवेक अग्रवाल द्वारा स्वास्थ्य शिविर का ऑनलाईन शुभारंभ किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कारागार में विशेष स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि जेल में बंदियों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करवाना जेल प्रशासन का परम दायित्व है एवं बंदियों का मानवाधिकार है। बंदियों को जेल के भीतर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकता होने पर विधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। शुभारंभ कार्यक्रम के पश्चात् जेल मे बंदियो के लिए उपलब्ध स्वास्थ सेवाओं का निरीक्षण किया। केन्द्रीय जेल भोपाल में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के साथ विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ताओं द्वारा उपस्थित जेल बंदियों को उनके प्रकरणों एवं समस्याओं के बारे में उचित विधिक परामर्ष दिया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश के निर्देशन में भोपाल के अलग-अलग 30 विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम द्वारा केन्द्रीय जेल भोपाल के 927 पुरूष बंदियों, 48 महिला बंदियों एवं 12 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण किये गये तथा शिविर आयोजन के दौरान 6 बंदियों को विधिक सहायता दी गई, 192 बंदियों को विधिक सलाह दी गई।

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में इनक्यूबेशन सेंटर खोलने के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति

भोपाल (काप्र)।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राजधानी स्थित उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मापदंडों के अनुसार एक मॉडल संस्थान के रूप में विकसित किया जाए।

पाठ्यक्रमों की रचनाएँ भी नीति के अनुसार की जाए। संस्थान के प्राध्यापक एनईपी को लेकर गठित राज्य टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ चर्चा करें। डॉ. यादव की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की सामान्य परिषद की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा एनईपी के तहत तैयार संरचना को उच्च शिक्षा विभाग अन्य जिलों में एक मॉडल संस्थान की स्थापना के लिए लागू करेगा। डॉ. यादव ने संस्थान में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति थी। इसके लिए बजट में सीड मनी का प्रावधान किया गया। इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा नीति आयोग को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। साधारण परिषद ने संस्थान के वर्ष 2023-24 के बजट का अनुमोदन किया। बजट में 8 करोड़ 89 लाख रूपये की आय और 8 करोड़ 88 लाख के व्यय का आकलन प्रस्तावित है। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा केसी गुप्ता ने कहा कि संस्थान में सभी स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षीय ऑनर्स में परिवर्तित किये जाएँ।

कर्मचारियों को स्थाईकर्मी बनाया, मेडिक्लेम का लाभ मिलेगा

उच्च शिक्षा मंत्री ने संस्थान में कलेक्टर दर पर वर्षों से कार्यरत 18 कर्मचारियों को स्थाई कर्मी बनाने और उन्हें परिवार के सदस्यों सहित मेडिक्लेम का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में कर्मचारी और उनके आश्रितजन को इलाज की सुविधाएँ मिल सकेगी। सभी कर्मचारियों को वर्ष 2016 से स्थाई कर्मी का लाभ दिए जाने के भी निर्देश दिया। डॉ. यादव ने कहा कि संस्थान परिसर में जंगली जानवर, टाइगर आदि के प्रवेश को रोकने के लिए बाउंड्री वाल की ऊँचाई 5 फीट से 8 फीट की जाये।

विद्यार्थियों और परिसर में रह रहे कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से ही यह आवश्यक है। उच्च शिक्षा मंत्री ने पेटेंट प्राप्त करने और पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले पीएचडी शोधार्थियों को फीस में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि संस्थान से पीएचडी करने वालों विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ाई जाए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने परिषद के सदस्यों के साथ संस्थान की पत्रिका एक्सेल एसेंस का विमोचन किया। संस्थान के निदेशक डॉ. प्रज्ञेश अग्रवाल और सदस्य उपस्थित रहे। उच्च शिक्षा मंत्री ने संस्थान के पुस्तकालय का अवलोकन किया और नवीन पुस्तकें देखी।

न्यायालय अपर कलेक्टर (दक्षिण)
जिला भोपाल मध्यप्रदेश
प्रक.क्र. 0028/री.अ.कले.दक्षिण/22-23
भोपाल दिनांक 24.4.2023

सूचना पत्र

1. देवेन्द्र कुमार आत्मज स्व. श्री फूल सिंह, 2. सौदान सिंह आत्मज स्व. फूल सिंह, 3. महेन्द्र कुमार आत्मज स्व. श्री फूल सिंह, 4. बिमला बाई आत्मज स्व. श्री फूल सिंह, 5. लीलाबाई आत्मज स्व. श्री फूल सिंह, (6) प्रीति आ. स्व. श्री फूल, सिंह, (7) हिरदेश कुमार आ. फूल सिंह सभी निवासी ग्राम चोपड़ा कला हुजूर भोपाल ..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. गया बाई पुत्री स्व. श्री गोरेलाल, 2. लालाराम आत्मज स्व. श्री गोरेलाल, 3. सूरज सिंह आ. स्व. श्री गोरेलाल, 4. हेमराज आ. स्व. श्री गोरेलाल, 5. श्रीमती लीलाबाई पत्नी स्व. श्री कुंजीलाल, 6. अर्चना लीलाबाई पुत्री स्व. श्री कुंजीलाल, 7. नीलम पुत्री स्व. श्री कुंजीलाल, 8. ओमप्रकाश आ. स्व. कुंजीलाल, 9. नर्मदी बाई पत्नी लालाराम सिंह, 10. गीता प्रसाद आ. लाला राम सिंह, 11. राधा बाई पत्नी सूरज सिंह, 12. पर्वत सिंह आ. सूरज सिंह, 13. दुर्गेश आ. हेमराज सिंह सभी निवासी ग्राम चोपड़ा कलां भोपाल ....

अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीत अधिकारी हुजूर के प्रक. क्र. 38/2022-23 आदेश दिनांक 08.12.2022 से परिवेदित होकर संहिता की धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की है जो इस न्यायालय में प्रचलित है। उक्त संबंध में अनावेदक क 5, 6, 7, 8 को सूचित किया जाता है कि आप उक्त प्रकरण में अपना पक्ष समर्थन हेतु इस न्यायालय में दिनांक 8.5.2023 को को न्यायालयीन समय 3.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। समाचार पत्र विधिवत प्रकाशित होने पर अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर कलेक्टर
दक्षिण भोपाल

1246

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड ई-7 एक्सटेंशन,अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.) में स्थित फ्लेट क्रमांक एम.आई.जी./एस.एक्स 136 मण्डल द्वारा (1) श्री प्रकाश तोलानी आत्मज श्री परसराम तोलानी (2) श्रीमती ऋतु तोलानी पत्नी श्री प्रकाश तोलानी के नाम से हस्तांतरित है। उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 14.09.2004 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 13.12.2018 को पंजीकृत है। (1) श्री प्रकाश तोलानी आत्मज श्री परसराम तोलानी (2) श्रीमती ऋतु तोलानी पत्नी श्री प्रकाश तोलानी द्वारा उक्त संपत्ति (1) श्री आलोक सरभाई आत्मज श्री एल.पी. सरभाई (लोकेश्वर प्रसाद सरभाई) (2) श्रीमती दीप्ती सरभाई पत्नी श्री आलोक सरभाई को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 13.12.2018 को निष्पादित करा दिया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति 1. श्री आलोक साराभाई आ. श्री एलपी साराभाई (लोकेश्वर प्रसाद साराभाई) 2. श्रीमती दीप्ती साराभाई पत्नी श्री आलोक साराभाई के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, भोपाल

1247

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कालोनी आर.एस.एस. मार्केट, 5 नंबर बस स्टाप भोपाल में स्थित फ्लेट क्रमांक सी-54 भू-तल एवं अतिरिक्त भूमि मण्डल द्वारा श्री राजेश अग्रवाल आत्मज श्री सागरमल अग्रवाल के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 23.10.1993 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 6.11.2013 को एवं अतिरिक्त भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 25.03.2004 को पंजीकृत है। श्री राजेश अग्रवाल आत्मज श्री सागरमल अग्रवाल द्वारा उक्त संपत्ति श्री अशोक अग्रवाल आत्मज श्री सागरमल अग्रवाल को दान विलेख के माध्यम से दान कर दिया है जिसका दान विलेख दिनांक 18.04.2023 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। दानकर्ता/ दानग्रहिता द्वारा आवदेन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, दान विलेख की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करते हु उक्त सम्पत्ति श्री अशोक अग्रवाल आत्मज श्री सागरमल अग्रवाल के पक्ष से हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रक